

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक – वि० प्रा०(।।।) ब³-13/2016/

/पटना, दिनांक-

प्रेषक,

अतुल सिन्हा,

निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय पोलिटेकनिक,

बांका, बिहार।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट "मुख्यशीर्ष-2203 –तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-00 लघुशीर्ष-105 –बहुशिल्प (पो०) विद्यालय मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0001 –प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (विपत्र कोड 43-2203001050001) के अधीन अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 1594 दिनांक 11.07.2017 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में आवंटनादेश संख्या 3 (आ) दिनांक 24.05.2017 के क्रम में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन विस्तृत शीर्ष 28 व्यावसायिक सेवाएं के 02 संविदा सेवाएं विषय शीर्ष में उपबंधित राशि से नियमानुसार व्यय हेतु विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक, बांका को रू० 4,00,000=00 (चार लाख रुपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाता है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि०(2) दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि से न्यायालय से आच्छादित मामले का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जा सकेगा।

4. उक्त आवंटित राशि का दूसरे विषयशीर्षों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उसे यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

5. उक्त आवंटित राशि से आउटसोर्सिंग द्वारा रखे गए कर्मियों के पारिश्रमिक का भुगतान निजी एजेन्सी के माध्यम से किया जायगा।

6. उक्त आवंटित राशि से आउटसोर्सिंग द्वारा रखे गए कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2017-18 के पारिश्रमिक भुगतान के उपरांत शेष राशि से बकाये पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा।

7. विभिन्न विषय शीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय की विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषय शीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

8. आवंटनादेश तथा विपत्र के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/वि० दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देशों का आक्षरशः अनुपालन किया जाय।

9. व्यय विवरणी टी. भी. नं. एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

10. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-- वि० प्रा०(।।।) ब³-13/2016/

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

ज्ञापांक-- वि० प्रा०(।।।) ब³-13/2016/

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, बांका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक


ज्ञापांक-- वि० प्रा०(।।।) ब³-13/2016/

39 (29)

/पटना, दिनांक-

8.09.2017

प्रतिलिपि:- उप निदेशक (यो.)/आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक